Volume-2, No. II, Aug-2015, pp.109-111

भारत में संसदीय लोकतन्त्र में गठबंधन एवं राजनीति का बढ़ता हुआ प्रभाव

श्री विकास कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग,
एस० डी० कॉलेज मुजफ्फरनगर उ. प्र. भारत।
श्री सुधीर मलिक, पोस्ट डॉक्टोरल फैलो,
,आई०सी०एस०एस०आर० नई दिल्ली भारत।

सारांश

भारत के संविधान का स्वरूप गणतंत्रीय तथा संघीय है। भारतीय लोकतन्त्र संसार का सबसे मजबूत लोकतन्त्र है। भारतीय संसदीय प्रणाली के प्रमुख लक्षण में संघीय संसद जिसमें राष्ट्रपति और संघ–राज्य सभा एवं लोकसभा है। भारत में संसदीय लोकतन्त्र तो प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। हमारे दोनों महाग्रन्थों में रामायण और महाभारत में संसदीय लोकतन्त्र के अंकुर देखे जा सकते हैं। उस समय सभा और सीमिती दोनो राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगठन होते थे जो राज्य और नागरिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इनमें संसदीय शासन के आधार देखे जा सकते हैं। चूँकि भारत में भी संसदीय लोकतन्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय प्रजातन्त्र लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है। इसकी जड़े प्राचीन काल तक मानी जाती है। भारतीय संसदीय लोकतन्त्र ऋग्वेद और अथर्ववेद में देखा जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के प्रजातन्त्र का वैदिक काल में बोया गया बीज जो आज एक सम्पूर्ण वृक्ष के रूप में अस्तित्व में है।

गत सौ वर्षों से भारतीय सार्वजनिक जीवन इंग्लैण्ड की संवैधानिक विधि की परम्पराओं से संचालित होता रहा है। हममें से अधिकांश ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को सबसे उत्तम माना है और पिछले तीस–चालीस वर्षों में इस देश के शासन में अंशतः उत्तरदायी सरकार का संचालन धीरे–धीरे प्रारम्भ किया गया था।

मुख्य शब्दः संसदीय शासन प्रणाली, लोकतन्त्र, गठबन्धन सरकार, लोकतन्त्र संक्रमण, एन.डी.ए., यू.पी.ए.

संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का अभिन्न सम्बन्ध होता है। केन्द्र में प्रधानमन्त्री तथा राज्य में मुख्यमन्त्री विधान मण्डल का प्रतिनिधित्व करता है। संसद अनेक तरीकों से मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखती है। प्रश्नोत्तर, काम रोको प्रस्ताव नीति या विधेयक की अस्वीकृति, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि द्वारा मन्त्रिमण्डल को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल अपनी नीतियों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं में एक विशाल भारत की कल्पना करते हुऐ यहाँ के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। परन्तु समय के साथ–साथ इसमें अनेक दोष उत्पन्न होते चले गये, जैसे भ्रष्टाचार, लाल फीता शाही, काला बाजारी व अन्य अपराध जिनसे संसदीय शासन की गरिमा को धक्का लगा। आज संसदीय लोकतन्त्र विघटन के कगार पर खड़ा है। जिसमें पल–पल में सरकारों का गिरना, बदलना, बनना, विधायकों का खरीदना, गठबन्धन की सरकारों का बनना सांसद संसद की मर्यादा भूलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना।

उपर्युक्त विसंगतियों को देखकर यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि भारत में लोकतन्त्र विफल हो गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक तत्व विद्यमान रहे हैं। जिसके फलस्वरूप संकट काल में राज्य व्यवस्था के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है।

भारतीय संसदीय लोकतन्त्र का बुनियादी सिद्धान्त धर्म निरपेक्षता है। भारतीय समाज में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लोकतान्त्रिक पद्धति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें जाति धर्म अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

भारत में संसदीय लोकतन्त्र के विकेन्द्रीकरण पर भी बल दिया गया है। इसमें पंचायतों के स्थापना पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया है। इसमें ग्राम स्तर पर प्रशासन को मजबूत किया गया है।

भारत में मजबूत लोकतन्त्र के लिए कुशल जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए समाज का आर्थिक विकास होना बहुत आवश्यक है।

उपर्युक्त विशेषताओं की विवेचना करने का यह भी आशय नहीं है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कतिपय ऐसे कारक है कि जिनसे भारत में संसदीय लोकतंत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कतिपय ऐसे कारक है कि जिनसे भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। अब देश में संसदीय लोकतंत्र अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। लेकिन अब हमें संसदीय शासन की गरिमा को बनाये रखना होगा।

जब भारत में अस्थितर सरकारों का दौर शुरू हुआ तो भारत में गठबन्धन का दौर शुरु हो गया किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और गठबन्धन की सरकारो का दौर शुरु हो गया।

जब गठबन्धन सरकार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है, तब उसमें सम्मिलित सभी राजनीतिक दलों द्वारा विचार–विमर्श किया जाता है और सभी के विचारों का मिश्रण नीति का रूप लेता है। इसमें देश की अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व होता है। यदि किसी एक राजनीति दल द्वारा बहुमत प्राप्त कर सरकार गठित की जाती है, तब वह देश के किसी खास समूह का ही प्रतिनिधित्व कर रही होती है, परन्तु जब गठबन्धन सरकार की स्थापना होती तब वह देश के मतदाताओं के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विभाजित वर्गों के अधिकांश का प्रतिनिधित्व होता है। गठबन्धन सरकार साझा कार्यक्रम बनाती है और उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।

गठबन्धन सरकार का स्थायित्व हमेशा सन्देहास्पद होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल निहित स्वार्थवश सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की स्थापना गठबन्धन प्रायः निर्वाचन के बाद ही करते हैं। किसी भी दो दल का राजनीतिक मुद्दा निर्वाचन के समय एक समान नहीं होता। वे गठबन्धन तो केवल मन्त्रिमण्डल लिए करते हैं। ऐसे में सम्भव है कि क्षुब्ध राजनीतिक दल गठबन्धन से अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार गिर जाए। गठबन्धन के सन्दर्भ में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचाराणीय तथ्य है कि यह सफल कैसे होगा?

गठबन्धन की सफलता के लिए अनेक शर्ते है, जिनमें प्रथम है कि गठबन्धन चुनाव के पूर्व हो और गठबन्धन में शामिल होने वाले सभी दल संयुक्त नीति और संयुक्त कार्यक्रम की घोषणा करें तथा उन नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता का सामूहिक उत्तरदायित्व लें। द्वितीय है कि गठबन्धन में किसी एक दल की तानाशाही न हो, उसके सभी निर्णय सभी दलों द्वारा सम्मिलित रूप के लिए जाने चाहिए, उसी नीतियों का निर्धारण सभी घटक राजनीतिक दलों के साथ वैचारिक सामंजस्य के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी दलों के सहयोग और सह–अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। तीसरा है कि गठबन्धन के नेता को प्रत्येक संघटक दल के साथ तालमेल रखना चाहिए, उनमें सहयोग की भावना को बढाना चाहिए तथा नियन्त्रण रखना चाहिए। उसे हमेशा गठबन्धन की एकता और अखण्ड़ता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब लोकतन्त्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा हो, तब उसे संक्रमण से बचाने के लिए गठबन्धन सरकार एक उपयोगी इलाज साबित हो सकती है, यदि गठबन्धन देश के विकास और सांविधानिक भावना के अनुरूप कार्य करें।

भारत में गठबन्धन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर से शुरू हुई। जब 1953 में आन्ध्रप्रदेश में संयुक्त मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई किन्तु यह मन्त्रीमण्डल 13 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही विघटित हो गया। 1957 में उडीसा में गठबन्धन सरकार की स्थापना हुई परन्तु 1961 में इसका विघटन हो गया। पश्चिम बंगाल में 1967 में पहली बार गठबन्धन सरकार की स्थापना की गयी, परन्तु बहुत कम समय में ही विघटित हो गई और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वर्तमान में भी भारत के कई राज्यों में गठबन्धन सरकार स्थापित है। जैसे– पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 21 मार्च 1997 को गठित भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश गठबन्धन सरकार के तहत् गठबन्धन का नेता 6–6 महीने पर परिवर्तित होना निश्चित किया गया, परन्तु यह सफल नहीं हो सका।

केन्द्र से गठबन्धन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया बहुत बाद में शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर लगभग तीन दशकों तक राज किया, क्योंकि भारतीय जनता का विश्वास उसे स्वतन्त्रता आन्दोलन से विरासत में मिला। 1970 के दशक के पूर्व तक भारत में कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभरा था। 1970 के उत्तरार्द्ध के बाद के दशक में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और भारतीय जनता ने कांग्रेस का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप 1977 में पहली बार केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1977 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार गठबन्धन सरकार की स्थापना हुई। इस समय गठबन्धन सरकार की स्थापना के लिए किसी भी दो राजनीतिक दलों में नीतिगत मतैक्य नहीं था, लेकिन वे इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हुए थे। दूसरी बार गठबन्धन सरकार की स्थापना संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 1989 हुई। संयुक्त मोर्चा में निर्वाचन से पूर्व ही जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी तथा कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन किया था। 1989 के चुनाव में स्थिति बिल्कुल ही बदल गयी। जिसमें कांग्रेस पार्टी का मानो अन्त सा ही हो गया तथा गैर कांग्रेस के आधार पर केन्द्र में गठबन्धन सरकार गठित की गयी। इस सरकार का पतन 11 महीनों में ही हो गया।

10वीं लोकसभा का चुनाव मई 1991 में कराये गए परन्तु इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी 220 स्थानों को लेकर सबसे बडे राजनीतिक दल के रूप में सामने आयी तथा कांग्रेस ने

अन्य दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनायी और पाँच वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया। 11वीं लोकसभा अप्रैल–मई 1996 में आम चुनाव में जनता ने फिर ऐसा मतदान किया कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति ने संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों की गठबन्धन सरकार की स्थापना हुई, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। 11वीं लोकसभा ने भारत को तीन प्रधानमंत्री दिए– अटल बिहारी वाजपेयी (भाजपा), एच0डी0 देवगौडा (जनता दल) और इन्द्र कुमार गुजराल। 19 मार्च 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई गठबन्धन सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। 12वीं लोकसभा चुनाव से त्रिशंकु संसद और खण्डित जनादेश के लक्षण उजागर हुए। अतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार केवल 13 माह ही चल पायी। सन् 1999 में 13वीं लोकसभा में भाजपा नेतृत्व का राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (N.D.A.) 305 स्थान लेकर केन्द्र में शक्तिशाली दल के रूप में उभरा। गठबन्धन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 राजनीतिक दलों की गठबन्धन सरकार बनाई और पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल सहजता से पूरा कर लिया। किन्तु अप्रैल–मई 2004 के चुनावों में (N.D.A.) राजग को विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पडा।

14वीं लोकसभा 2004 के चुनावों से पूर्व कांग्रेस ने एक वैकल्पिक गठबंधन का निर्माण किया। कांग्रेस ने 15 सहयोगी दलों से ''संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन'' (U.P.A.) का गठन किया। यू0पी0ए0 ने डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। जिसे 61 सदस्यीय वाममोर्चा का बाहर से समर्थन हासिल हुआ। अप्रैल–मई 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें जनादेश कांग्रेस को 206 लोकसभा सीट जीताकर सबसे बडी पार्टी बनायी। एक बार फिर दूसरे कार्यकाल के लिए डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यू0पी0ए0 गठबन्धन ने सरकार बनाई जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। 15वीं लोक सभा भी (U.P.A.) संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन को मिलाकर ही बन पायी तथा जैसे–तैसे अपने–अपने पाँच साल पूरे किये लेकिन वह न तो राष्ट्रीय स्तर पर और न ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय कर पायी। 16वीं लोकसभा में गठबन्धन का दौर समाप्त हुआ और स्थायी सरकार की योजना फलीभूत हुई नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार बनी तथा गठबन्धन का दौर खत्म हो गया जहाँ तक इसके टिकाउपन का सवाल है। आज सिद्धान्तविहीन और सत्तोन्मुख रूझान क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में देखा जा रहा है। राजनीतिक प्रयोगों एवं उसके निहितार्थों निरंतर घटते हुए घटनाक्रम के ऊपर।

अतः राजनीति का जो चक्र चल रहा है। उसे उल्टा नहीं कहा जा सकता। गठबन्धन राजनीति दोष के लोकतन्त्र की नियति बन गई है और इसे स्वीकार करना भी पडेगा। इसलिए समस्या गठबन्धन से नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब कोई राजनीतिक पार्टी गठबन्धन राजनीति के धर्म का उल्लंघन करती है। समस्या गठबन्धन राजनीति की नहीं है, बल्कि समस्या अपने को लोकतान्त्रिक संस्कारों से परे रखकर सरकार चलाने में है। भारत के बहुलतावाद में एक पार्टी या दो पार्टी के लोकतन्त्र की कोई जगह नहीं है। यहाँ सैकडो भाषाएँ बोली जाती है। अनेक कारण है, हजारो जातियाँ है और एक राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ सबकी अपनी–अपनी आकांक्षाऐं भी है। इन सभी की पूर्ति गठबन्धन सरकार से ही सम्भव है। अच्छा है कि पार्टियाँ इस हकीकत को स्वीकार कर लें। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के विद्वानों और राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच गठबन्धन सरकारों के गठन और कार्यकरण की समस्त प्रक्रिया पर गम्भीर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इस बात पर गम्भीर विचार करना होगा कि केन्द्र में गठबन्धन सरकारों की राजनीति से उत्पन्न राजनीतिक को किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ सम्भव है। हमें अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप मार्ग खोजना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजकिशोर– भारत का राजनीतिक संकट।
2. रजनी कोठारी– पॉलिटिक्स इन इण्डिया।
3. यू0एस0 घई– भारतीय शासन एवं राजनीति।
4. डॉ0 पुखराज जैन– भारतीय शासन एवं राजनीति।
5. कल्पना राजा राम– भारत का संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
6. एस0एम0 सईद– भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
7. गठबन्धन राजनीति में मनमानी– दैनिक जागरण में लिखा गया राजीव सचान का लेख।
8. सिर्फ सरकार बदलना पर्याप्त नहीं– दैनिक जागरण, 27 मई 2004
9. मनमानी– 6 जून, 2005
10. विपिन चन्द्र– आजादी के बाद भारत।
11. डॉ0 गजेन्द्र गडकर – डेन्जर टू पार्लियामेन्ट्री गवर्नमेन्ट
12. श्री उदयभान सिंह– भारतीय राजव्यवस्था–एक समग्र विवेचन
13. डॉ0 विप्लव– भारतीय संविधान
14. प्रतियोगिता दपर्ण– 1999
15. भारत का संविधान– अनुच्छेद 47 (1)
16. भारत का संविधान– अनुच्छेद 75 (1)
17. भारत का संविधान– अनुच्छेद 40
18. शर्मा प्रभुदत्त– तुलनात्मक राजनीतिक संस्थायें
19. रजनी कोठारी– भारतीय राजनीति
20. कश्यप एवं गुप्त– राजनीतिक कोष– नेशनल पब्लिसिंग हाउस